**बिहार सरकार**
**शिक्षा विभाग**
**::आदेश::**

पटना, दिनांक 05-10-2026

संचिका संख्या–07 / मु0–02–76 / 2025 2866 / यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–5419 / 2025 (मनोज कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक– 07.04.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

*"...**6. In view of the admitted fact that no disciplinary proceeding has been initiated against the petitioner till date, the impugned order contained in Memo No.667 dated 23.11.2024 being passed without following the prescribed procedure is hereby set aside and quashed, in view of the reasons given in detailed order passed in the case of Ram Binod Sharma (supra).***

***7. The Director, Primary Education, Bihar is directed to call for the service particulars of the petitioner from the office of the District Programme Officer (Establishment), Jehanabad and release the due amount of salary to the petitioner forthwith from the date the petitioner has not been paid his due salary....."***

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता श्री मनोज कुमार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए दिनांक 05.11.2025, 24.02.2026,26.02.2026 तथा 09.03.2026 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई निर्धारित की गयी, जिसमें वादी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। पुनः दिनांक–17.07.2026, 05.08.2026 तथा 20.08.2026 को सुनवाइ में उपस्थित होने का निदेश दिया गया, जिसमे वादी अनुपस्थित रहे। पुनः दिनांक–10.09.2026 को सुनवाई का अवसर दिया गया जिसमें वादी उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित किया। याचिका के प्रति के साथ संलग्न अभ्यावेदन से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उनके कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। अंकनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2025 को पारित आदेश द्वारा वादी के सेवा पुस्तिका की जाँच करते हुए लंबित अवधि का वेतन भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया है।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय पत्रांक–2507 दिनांक–05.11.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5419 / 2025 मनोज कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद को यथोचित आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

1. विभागीय पत्रांक–734 दिनांक–08.07.2022 में निदेशित है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश तथा ऐसे मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए निदेश है, कि शिक्षकों के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति अवैध हो या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता ज्ञात हो तो मात्र वेतन रोकने की कार्रवाई को वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। ऐसे मामले में या तो निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाय या बिना निलंबन के विभागीय कार्यवाही की जाय। परन्तु बिना निलंबन या विभागीय कार्यवाही के मात्र वेतन रोकना किसी भी परिस्थिति में ना किया जाय।

उक्त मामले में परिवादी शिक्षक के विरूद्ध बाकायदा निगरानी विभाग द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15459/2014 रंजीत पंडित बनाम राज्य सरकार में पारित न्यायादेश के अनुपालन में अभिलेखो की जॉच के उपरान्त जहानाबाद नगर थाना कांड सं0–757/2017 दर्ज कराया जा चुका था, जो कि एक वास्तविक न्यायालयी प्रक्रिया थी। अंकनीय है निगरानी विभाग, बिहार सरकार द्वारा दर्ज कराये गये प्राथमिकी में इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक में फर्जीवाड़े का स्पष्ट उल्लेख है, मात्र समरूप न्यायालीय वाद के आदेश के आधार पर इस मामले को वादी के पक्ष में निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विभागीय पत्रांक–734 दिनांक–08.07.2022 'बिना किसी विभागीय कार्यवाही अथवा बिना निलंबन के' मामले को संसूचित व चिहिन्त करना है; न कि विशुद्ध नियमावली प्रक्रिया के बावजूद वेतन भुगतान हेतु ।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद को याचिकाकर्ता के विद्यालय की अभिप्रमाणित शिक्षक उपस्थिति पंजी के आधार पर लंबित अवधि का वेतन भुगतान करने का निदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि यदि इनके मामले में किसी प्रकार का आरोप बनता है तो विधिवत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के आलोक में वाद को निस्तारित किया जाता है।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु0–02–76/2025.2866../ पटना, दिनांक 05-10-2026.

प्रतिलिपिः– Manoj Kumar son of Mithlesh Chaudhary, resident of Village-Danu Bigha, Police Station-Makhdumpur in the district of Jehanabad को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–02–76/2025.2866../ पटना, दिनांक 05-10-2026.

प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–02–76 / 2025. 2866 / पटना, दिनांक 05-10-2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।